

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-2/2023-L

Dated: Shimla-171 002, the

13/06, 2023

ORDER

Subject:- Diversion of 0.1466 ha of forest land in favour of HPPWD for the Re-alignment of Kullu Manali left bank near Balley Bridge at Manali Kms 20/500 to 41/375 (41/030 i.e. 0/000 to 0/330) within the jurisdiction of Kullu Forest Division Distt. Kullu, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/37026/2018)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या:8बी/एच.पी./06/92/2019/एफ.सी./365, दिनांक 07.07.2022 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.1466 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3. प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 720 वृक्षों के वृक्षारोपण का कार्य Compartment No. C-IIIa, 2/3 Shanag Shill, Manali Forest Range, Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

4. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 8th February, 2023 in I.A. No. 132892 of 2022 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. Union of India & Ors.

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

S/FCA

DFO (FCA)

13/06/2023
APECF (FCA)



6. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के पत्रांक 05-3/2011-fC (Vol.-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन.पी.वी. (NPV) दरों में संशोधन किया गया है। यदि मन्त्रालय द्वारा भविष्य में उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण यथानुसार NPV राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार कुल 72 (41 Trees and 31 Saplings) से अधिक नहीं होगी।
8. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**
9. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार, सड़क के दोनों किनारों जहां-जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।
12. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।
13. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above

Dated: Shimla-171 002 the,

12,06, 2023

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu, H.P.
6. Divisional Forest Officer, Kullu Forest Division, District Kullu, H.P.
7. Executive Engineer, HPPWD Division, Kullu, Distt. Kullu, H.P.
8. Guard File.

(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

♦♦♦♦♦